रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-O1122022-240698 CG-DL-E-01122022-240698

#### असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5338] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/अग्रहायण 10, 1944 No. 5338]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

# मत्स्यपालन, पश्पालन और डेयरी मंत्रालय (पश्पालन और डेयरी विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5570(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय पश् चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पश् चिकित्सा परिषद से सलाह करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

भारतीय पश्चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984की पहली अनुसूची में, क्रमांक संख्या 91 के पश्चात "डिग्री" उप-शीर्षक के तहत और उससे संबंधित प्रविष्टियों. के लिए निम्नलिखित क्रमांक संख्या और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी. नामत:-

| 1  | 2              | 3  |
|--|----------------|--|
| "92. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,<br>वाराणसी वर्ष 2016-17 के दौरान पशु<br>चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा संकाय कृषि<br>विज्ञान संस्थान राजीव गांधी दक्षिणी<br>परिसर, बरकछा में भर्ती छात्रों के संबंध में। | पशुपालन स्नातक | बी.वी.एससी. और ए.एच. (यह अर्हता मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता के रूप में केवल तभी मान्य होगी जब इसे 8 जून, 2022 को या उसके पश्चात् 13 जून, 2022 तक प्रदान किया गया हो।) |

[फा. सं. के-12052-1/1/2017-एलएचई-4738]

उपमन्य बस्, संयुक्त सचिव

7961 GI/2022 (1)

#### MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

## (Department of Animal Husbandry and Dairying)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 2022

**S.O. 5570(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following amendment in the FIRST SCHEDULE to the said Act:—

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub- heading "Degrees" after serial number 91 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:-

| 1   | 2                  | 3   |
|---|--------------------|-----|
| "92. Banaras Hindu University, Varanasi in respect of students admitted in Faculty of Veterinary and Animal Sciences, Institute of Agricultural Sciences, Rajiv Gandhi South Campus Barkachha during the year 2016-17 | Science and Animal | · · |

 $[F.\ No.K\text{-}12052\text{-}1/1/2017\text{-}LH\ E-4738]$ 

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.